न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 49/2019

1. हरिद्वारीलाल पुत्र घीसालाल उम्र वयस्क जाति महाजन निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) हाल निवासी सी–15 ग्रेटर कैलाश कॉलोनी, लाल कोठी जयपुर (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28/8/2019 उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर (शाहपुरा) अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील अधिन धारा 75 एल.आर एक्ट

निर्णय

दिनांक 24.7.20

अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर उप तहसील मनोहरपुर द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 970/0.05 है0 व ख.नं. 971 रकबा 0.25 है0 भूमि पर अपीलान्ट/गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए मौके से पुक्ता निर्माण को ध्वस्त कर बेदखली के आदेश देकर दिनांक 28/8/2019 को निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्व जरिये वकील अपील अपीलान्ट द्वारा समक्ष न्यायालय पेश की है, जिसके बिन्दुवार तथ्य निम्न भांति पेश है।

1. यह है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 28/8/2019 को निर्णय पारित किया है। आ.ख.नं. 970 व 971 को गै.मु. हो जाने के कारण उक्त निर्णय पारित किया है, जबकि उक्त वर्णित भूमि कभी भी गै.मु. रास्ता की भूमि नहीं रही है। मौके पर उक्त भूमि के अलावा उक्त भूमि के दक्षिण में 40 फिट का चौडा रास्ता है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना कोई जांच किये बिना नाप जोख किये उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर द्वारा गलत निर्णय पारित किया है।
2. यह है कि तथा कथित ख.नं. 970 व 971 की भूमि अपीलार्थी ने 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जे काश्त रही है। जिसके बाबत साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा उक्त गलत निर्णय पारित किया है तथा उक्त गलत निर्णय पारित कर मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये है।
3. यह है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर 970 व 971 के दोनों तरफ अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है। पटवारी हल्का ने मौके पर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि एवं उक्त वर्णित भूमि की सीमाओं को ज्ञात कराये बिना अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को भी उक्त भूमि में शामिल करते हुए गलत रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर भी गलत रिपोर्ट पेश की है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा जारी नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ इसकी जानकारी 27/8/2019को मिली जिसमें अपीलार्थी का अभिभाषक उपस्थित होकर साक्ष्य सबूत एकत्रित कर पेश करने के लिए समय चाहा किन्तु उपतहसीलदार द्वारा ना तो साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया तथा ना ही प्रकरण की प्रति उपलब्ध करायी इस प्रकार उप तहसीलदार द्वारा सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है जो अपास्त होने योग्य है।
5. यह है कि रिपोर्टकर्त्ता पटवारी हल्का की रिपोर्ट की ताईद में कोई बयान लेखबद्व नही कराये तथा ना ही अपीलार्थी के अभिभाषक को प्रति परीक्षा का अवसर दिया गया इस कारण उक्त निर्णय 28/8/2019 विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील की सुनवायी का श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है। अपीलाधीन आदेश 28/8/2019 किया गया है उसके विरूद्व अपील अन्दर मियाद है। अतः अपील मय शपथ–पत्र पेश कर अपीलार्थी प्रार्थी है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा पारित आदेश 28/8/2019 को खारिज फरमावें।

अति. कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

7. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी नियमानुसार विधि अनुरूप करायी गयी बाद तामील सूचना के रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री नरेश कुमार आत्रेय एडवोकेट उपस्थित आये।

8. वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र 026 आर 9 सीपीसी का दिनाक 17/01/2020 को पेश किया जिसका जवाब रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा 28/02/2020 को पेश होने पर उक्त प्रार्थना–पत्र पर सुनवायी कर खारिज किया गया।

9. वकील रेस्पाडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जारी स्थगन आदेश 16/9/2019 की क्रियान्विति समाप्त करने बाबत दिनांक 28/02/2020 को निवेदन किया। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनाक 16/9/2019 को अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) के निर्णय 28/8/2019 की क्रियान्विति समापत करने के आदेश दिये गये थे। उक्त जारी स्थगन आदेश 16/9/2019 पर वकील उभयपक्षों को सुना जाकर स्टे आदेश वैकेट किया गया यानि इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश 16/9/2019 की क्रियान्विति समाप्त की गयी।

10. प्रकरण में आगामी तारीख पेश दिनांक 24/7/2020 को निहित थी। वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना–पत्र शीघ्र सुनवायी का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण उनवानी अर्जेन्ट नेचर एलआर एक्ट धारा 91 की कार्यवाही के विरूद्ध है। रेस्पाडेन्ट के निवेदन पर स्थगन वकेट किया जा चुका है। उक्त कार्यवाही में प्रार्थीगण/अपीलान्ट के निर्माण को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है जबकि विवादास्पद भूमि से पट्टे जारी किये हुये हैं। इसलिए दिनांक 10/7/2020 को कोर्ट कैम्प शाहपुरा सुनवायी करने का श्रम करावें। उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर उभयपक्षों को सुना जाकर शीघ्र सुनवायी प्रार्थना–पत्र 10/7/2020 स्वीकार किया गया तथा उभयपक्षों की फाईनल बहस सुनी गयी। बहस के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने खसरा परिवर्तनशील की नकले पेश की जो पत्रावली में संलग्न है।

11. वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर (शाहपुरा) की गलत रिपोर्ट के आधार पर आराजी ख.नं. 970 व 971 किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर अपीलान्ट/गैर सायल का अतिक्रमण मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार द्वारा दिनांक 28/8/2019 की मौके से बदखल करने एवं पक्का निर्माण को ध्वस्त करने के आदश पारि कर दिये गये है, जबकि उक्त भूमि कभी भी गै.मु. रास्ते की नहीं रही है। मौके पर उक्त भूमि के अलावा उक्त भूमि के दक्षिण में 40 फिट का चौडा रास्ता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जाँच किये बिना नाप जोख किये निर्णय पारित किया है जबकि अपीलार्थी के 40 वर्षों से अधिक समय से उक्त खसरा नम्बर 970 व 971 पर काब्जा काश्त रहा है। इसके लिए साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं करने दिया। अपील में उक्त वर्णित खसरा नम्बर 970 व 971 के दोनों तरफ अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराये बिना ही उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् में शामिल कर पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ तथा इसकी जानकारी प्राप्त होने पर साक्ष्य सबूत दस्तावेजात् एकत्रित करने बाबत समय चाहा किन्तु ना तो सुनवायी का अवसर प्रदान किया तथा ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। इसके अलावा पटवारी हल्का से ना तो जिहर करने का अवसर दिया तथा ना ही अपीलार्थी के अधिवक्ता को प्रति परीक्षा का अवसर दिया गया। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन कर उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा दिनाक 28/8/2019 को निर्णय पारित किया है जिसे अपास्त किया जावें। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में राजस्व रिकॉर्ड मिलान क्षेत्रफल खसरा परिवर्तन शील तथा गिरदावरी सम्वत 2011 रिकॉर्ड पर लेने बाबत पेश किया गया, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। इसके अलावा वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि ना तो गै.मु. रास्ते की भूमि है एवं ना ही रास्ते की भूमि की सूरत से है, जो राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता का अकन गलत इन्द्राज हुआ है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जावें तथा उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश 28/8/2019 को अपास्त किया जावे।

12. पैरोकार सरकार शाहपुरा द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि पटवारी हल्का मनोहरपुर द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 970 व 971 में गैर सायल हरद्वारीलाल द्वारा सम्वत् 2076 में नाजायज रूप से ग्वार की फसल एवं पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश होने पर उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा धारा 91 की कार्यवाही कर मौके से बेदखल करने एवं पक्का निर्माण को ध्वस्त करने के लगान का पचास गुना अर्थ दण्ड के दिनांक 28/8/2019 को आदेश पारित किये है। इसलिए एलआर एक्ट 1956 की धारा की धारा 91 के तहत् हुयी कार्यवाही विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज फरमावें।

13. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात् अवलोकन कर अध्यन किया तथा उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 970 व 971 किस्म गै.मु. रास्ता नाजायज रूप से ग्वार की फसल एवं पुख्ता निर्माण की रिपोर्ट पेश करने पर उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) ने एलआर एक्ट 1956 की धारा तहत् निर्णय पारित कर दिनांक 28/8/2019 को बेदखली पुख्ता निर्माण को ध्वस्त एवं राशि वसूली के आदेश पारित किये है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में जाहिर किया है

कलक्टर

Scanned with CamScanner

कि उक्त वर्णित भूमि कभी गै.मु. रास्ता की नही रही है ना ही उक्त भूमि गै.मु. रास्ता की सूरत में है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जांच किये बिना, साक्ष्य लिए बिना, सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये, बिना पटवारी हल्का से जिरहे किये तथा बिना अपीलान्ट के वकील की प्रतिपरीक्षा के अवसर के उक्त निर्णय पारित किया है जो न्याय के सिद्धान्त के विपरीत किया है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को उक्त खसरा नम्बरान में शामिल कर बिना पैमाईस किये पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (मनोहरपुर) द्वारा दिनाक 28/8/2019 को अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। वकील अपीलान्ट ने अपने समर्थन में खसरा परिवर्तनशील पी–14, खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 व मिलान क्षेत्रफल पेश किया है, जिसकी नकल संलग्न है। चूंकि पटवारी हल्का मनोहरपुर की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा दिनाक 28/8/2019 को अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.न. 970 व 971 किस्म गै.मु. रास्ता से बेदखल करने एवं पक्का निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिनाक 28/8/2019 को पारित होना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में पी–14 की खसरा परिवर्तन शील नकले गिरदावरी सम्वत 2011 की पेश की है जिनसे यह साबित होता है कि अपीलार्थी/गैर सायल उक्त गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करता आ रहा है। इसके अलावा उक्त अतिक्रमित भूमि बाबत खातेदारी सम्बन्धित किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात् पेश नहीं किये है। इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि उक्त गै.मु. रास्ते की भूमि पर अतिकमण कर संवत 2076 में खरीफ की फसल एव पुक्ता निर्माण किया है। इसलिए अपीलान्ट/गैर सायल को अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उक्त आराजी खसरा नम्बर 970 व 971 गै.मु. रास्ता हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित है। सरकारी भूमि पर अतिकमण करना एल.आर एक्ट 1956 की धारा 91 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः अपील/अपीलान्ट खारीज किया जाना न्याय संगत एवं उचित प्रतीत होता है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मनोहरपुर (शाहपुरा) द्वारा प्रकरण संख्या 02/2019 ब उनवान सरकार बनाम हरिद्वारीलाल में पारित आदेश 28/8/2019 को यथावत रखा जाता है। इस आशय की प्रती तहसीलदार शाहपुरा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

15. निर्णय आज दिनांक 24.7.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner